उत्तर प्रदेश शासन।

उद्यान अनुभाग

संख्या-29 /2018-1283/58-2018-367/2013

लखनऊ: दिनांक: 08 मई, 2018

दिनांक 08 मई 2018 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह-ख सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त नियमावली की प्रति अपने स्तर से समस्त मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों को परिचालित कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि नियमावली की 200 प्रतियां मुद्रित कराकर शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11. गार्ड बुक।

संलग्नक-यथोक्त।

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

नोट- उक्त का संलग्नक उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह-ख सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की बेवसाइट uphorti.nic.in **पर उपलब्ध है।**

http://shasanadesh.up.nic.in